

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 6/3/17

संचिका संख्या :-17/कोर्ट-32/2011 - 135 (17) /स्वा0, डा0 ठाकुर रामेश्वर दयाल सिन्हा, डा0 अखौरी शशिभूषण सहाय एवं डा0 हिमांशु कुमार सिन्हा द्वारा कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत रहे प्राध्यापक नेत्र विभाग से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् नियमित प्रोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर की गयी याचिका संख्या-6307/2011 में पारित न्यायादेश दिनांक-17.12.2013 एवं अवमाननावाद संख्या-3940/2016 तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राध्यापक, नेत्र विभाग के पद पर वेतनमान रू०-14,300-18,300/रू० में उनके नाम के समक्ष कॉलम-6 में अंकित तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	सह प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि	कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति की अधि० सं०	कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत प्राध्यापक के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि	प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति की प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० ठाकुर रामेश्वर दयाल सिन्हा	12.03.1983	93(17) दिनांक- 21.03.1998	15.06.1998	15.06.1998
2	डा० अखौरी शशि भूषण सहाय	12.03.1983	93(17) दिनांक- 21.03.1998	16.11.1998	16.11.1998
3	डा० हिमांशु कुमार सिन्हा	20.01.1990	1217(17) दिनांक- 22.11.03	01.12.2003	01.12.2003

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रदीप कुमार झा)


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-59/2010 - 135 (17) पटना, दिनांक :- 6/3/17

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के

आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/संबन्धित प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार/डा0 ठाकुर रामेश्वर दयाल सिन्हा, पता- तारकेश्वर पथ, चिरैयाटांड, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना को सूचनार्थ/डा0 अखौरी शशिभूषण सहाय, हाउस नं0-146, श्री कृष्ण नगर, थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं डा0 हिमांशु कुमार सिन्हा, हिमनितलिय, गुमटी नं0-4 के उत्तर, पावर हाउस रोड, माडीपुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 एवं आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-AAG - 9, महाधिवक्ता कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 3.3.12

सरकार के अपर सचिव।